

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2485
जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल का पुनः उपयोग

2485. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विकास, जनसंख्या विस्तार और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी की चुनौतियों का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने यह अधिदेश दिया है कि शहरों को अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल का कम से कम बीस प्रतिशत पुनः उपयोग करना होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अपने उपभोग किए गए जल का बीस प्रतिशत पुनः उपयोग करने में विफल रहे हैं; और
- (च) जल चक्रण और सततता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): किसी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्य रूप से वहाँ के जल-मौसम विज्ञानकी और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, हालांकि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता किसी देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तेजी से शहरीकरण, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि आदि के कारण बढ़ती जल मांग को पूरा करने में चुनौतियाँ हैं। देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जनसंख्या में वृद्धि के कारण घट रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन "भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, 2019" के आधार पर, वर्ष 2021 और 2031 के लिए औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1486 घन मीटर और 1367 घन मीटर आंकी गई है। 1700 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल

की उपलब्धता को जल की कमी माना जाता है जबकि 1000 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है।

‘जल’ राज्य का एक विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) द्वारा राज्यों को उनकी पुनः जल उपयोग नीतियों को तैयार करने में मार्गदर्शन देने और उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए आर्थिक मॉडल स्थापित करने के लिए एक "उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए राष्ट्रीय ढांचा" विकसित किया गया है। राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन की उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर शहर के नीति-निर्माताओं और अधिकारियों के लिए एक हैंडबुक भी है जिसका उद्देश्य ताजे जल संसाधनों का संरक्षण करना और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि ट्रांस यमुना एसटीपी से 8 एमएलडी उपचारित जल मथुरा रिफाइनरी को पीने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दिया जाता है और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली एवं जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट, झारखंड द्वारा दो थर्मल संयंत्रों द्वारा निकटवर्ती एसटीपी से मिलने वाले उपचारित जल का उपयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा संबंधित राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, को उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए एक राज्य नीति तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, स्वच्छ गंगा राज्य मिशन - यूपी (एनएमसीजी-यूपी) ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना, जिसे दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक का उद्देश्य देश के सभी वैधानिक नगरों में सभी घरों को नल के माध्यम से जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का कवरेज करना है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के रिफार्म एजेंडा के तहत जल संरक्षण में सुधार हेतु उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण की परिकल्पना की गई है ताकि शहर की कुल जल मांग का 20% और राज्य स्तर पर उद्योग हेतु जल मांग का 40% पूरा किया जा सके।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उद्योगों, अवसंरचना और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निकासी के नियमन के लिए अधिसूचना संख्या 3209(ड) दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान/निर्देश शामिल किए गए हैं।

- i. केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह शर्त शामिल है कि हरित क्षेत्र (कृषि) के लिए जल की आवश्यकता को 'जहां संभव हो, पुनर्चक्रण/उपचारित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा'।
- ii. परियोजना प्रस्तावक को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भूजल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना होगा। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भूजल निकालने के लिए शुल्क लगाने से जल के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के माध्यम से भूजल/ पानी का विवेकपूर्ण उपयोग होता है और पानी की बर्बादी भी कम होती है।
- iii. ऐसी अवसंरचना परियोजनाएं जो 20 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) या उससे अधिक भूजल निकालती हैं, उनके द्वारा एसटीपी स्थापित करने और हरित पट्टे के विकास/कारों की धुलाई आदि के लिए उपचारित जल का उपयोग करना अपेक्षित है।

जल चक्रीयता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, सीपीसीबी द्वारा एक चार्टर तैयार किया है और उसे लागू किया है जो जल-गहन औद्योगिक क्षेत्रों में अर्थात् गंगा बेसिन में पल्प और पेपर (2012 और 2015), चीनी (2018), डिस्टिलरी (2018), वस्त्र (2019 और 2022), और टैनरी (2022) में भागीदारी दृष्टिकोण का द्योतक है, जिसके परिणामस्वरूप ताजे जल की खपत, अपशिष्ट जल निर्वहन और प्रदूषण लोड में कमी आई है जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हुई है। इस चार्टर के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में पल्प और पेपर क्षेत्र में विशिष्ट ताजे जल की खपत में 42%, चीनी मिलों में 73%, डिस्टिलरी में 66% और वस्त्र में 76% की कमी आई है। गंगा बेसिन में सभी गुड़-आधारित डिस्टिलरी ने शून्य तरल निर्वहन (ज़ेडएलडी) हासिल किया है। सीपीसीबी ने 'सिंचाई में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए दिशानिर्देश' तैयार किए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन एवं वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को यूआरएल पर देखा जा सकता है:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf>
